संख्या–1015/XIII/04/ 5(36)2003

प्रेषक,

डा0पी0एस0गुसाँई,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य कृषि अधिकारी,
उत्तरांचल.

कृषि एवं कृषि विपणन विभाग

देहरादून दिनांक 09 जुलाई, 2004

विषय– कृषि निवेश भण्डारों, प्रक्षेत्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण की योजना के अन्तर्गत धनराशि की अवमुक्ति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निदेशक कृषि के पत्र सं0 781/लेखा/बजट/2003–04 दिनांक 11 जून 2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2004–05 में आयोजनागत योजना के अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार रूपया 5.99 लाख (पांच लाख निन्यानवे हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके नियंत्रण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं.

(लाख रू0 में)

जनपद का नाम	12–कार्यालय फर्निचर एवं उपकरण	28–मशीन साज सज्जा उपकरण संयंत्र	29–अनुरक्षण	42–अन्य व्यय	योग
नैनीताल	–	–	0.43	–	0.43
उधमसिंहनगर	0.10	–	1.00	–	1.10
अल्मोड़ा	–	–	0.60	–	0.60
पिथौरागढ़	0.10	0.18	0.72	–	1.00
बागेश्वर	–	–	–	–	–
चमोली	–	–	–	0.13	0.13
देहरादून	–	0.15	0.35	–	0.50
पौड़ी	–	–	1.40	–	1.40
टिहरी	0.08	–	–	0.10	0.18
रुद्रप्रयाग	–	–	–	–	–
उत्तरकाशी	0.05	–	0.50	–	0.55
हरिद्वार	–	–	–	–	–
योग–	0.33	0.33	5.00	0.33	5.99

2. स्वीकृत धनराशि का उपयोग बजट मैनुअल/वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/निर्देशों के अनुसार किया जाय तथा किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिये सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता संबंधी जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद की धनराशि दूसरे मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(6)

4. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार वाउचर सं0 एवं दिनांक के आधार पर व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-8 पर आहरण वितरण अधिकारी विभागाध्यक्ष को तथा विभागाध्यक्ष द्वारा बी0एम0-13 पर निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से वित्त विभाग को उपलब्ध करायेंगे.

5. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-17 के लेखा शीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-00- आयोजनागत 800- अन्य योजनाएं -04 कृषि निवेश भण्डारों, प्रक्षेत्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों के सुदृढीकरण-00 की योजना की प्राथमिक सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 430/वित्त अनुभाग-2/2004 दिनांक 3-7-2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0पी0एस0गुसाँई)
अपर सचिव।

संख्या- 1016/ *XIII* /04/ 5(36)2003

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मंडल पौड़ी।
3. आयुक्त कुमाँयू मंडल,नैनीताल।
4. अपर निदेशक कृषि उत्तरांचल को उनके पत्र संख्या 778 दिनांक 11जून 2004 के क्रम में।
5. समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
6. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
7. संयुक्त कृषि निदेशक, गढ़वाल मंडल पौड़ी/कुमाँयू मंडल नैनीताल।
8. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल देहरादून।
9. वित्त अनुभाग-2 उत्तरांचल शासन, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0पी0एस0गुसाँई)
अपर सचिव।